



कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
Employees' State Insurance Corporation
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)

क्षेत्रीय कार्यालय: झारखण्ड / Regional Office: Jharkhand
पंचदीप भवन, एसिक कम्प्लेक्स, नामकुम, राँची-834010
Panchdeep Bhawan, ESIC Complex, NAMKUM, RANCHI-834010
फोन / Phone : (0651) 2261569/2261581, 2261127 (फैक्स / Fax)

ई-मेल / E-mail: rd-jharkhand@esic.nic.in, वेबसाइट / Website : www.esicjharkhand.org

**उप निदेशक का कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, सरायकेला-खरसावाँ,
के लिए किराए के भवन हेतु निविदा आमंत्रण**

**Notice inviting tender for building on rent for "Office of the Deputy Director,
Employees' State Insurance Corporation, Saraikela-Kharsawan"**

उप निदेशक का कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, हेतु जिला-सरायकेला-खरसावाँ में नीचे वर्णित विवरण के अनुसार कार्यालय परिसर की आवश्यकता है :

Office Building is required for the Office of the Deputy Director, Employees' State Insurance Corporation, at Saraikela-kharsawan District as per the details given below:

क्रम सं. Sl. N.	कार्यालय का नाम Name of The Office	कारपेट एरिया (वर्ग फुट में) Carpet Area (In Sq. ft.)	क्षेत्र जहाँ परिसर स्थित होना चाहिए Area in which premises should be situated
1.	उप निदेशक का कार्यालय, जिला - सरायकेला-खरसावाँ Office of the Deputy Director, District-Saraikela-Kharsawan	2000	नगरपालिका क्षेत्र Municipal Area

इच्छुक मकान मालिक अपना प्रस्ताव परिसर से सम्बन्धित पूर्ण विवरण एवं परिसर में उपलब्ध सभी सुविधाओं के विवरण सहित दिनांक 29.06.2016 (2:00 PM) तक क्षेत्रीय कार्यालय, क.रा.बी. निगम, नामकुम, राँची-834010 को बन्द लिफाफे में भेज सकते हैं। परिसर का किराया प्रति वर्गफुट अथवा एकमुश्त आधार पर दें। प्रयोज्य वैधानिक करों का विवरण निश्चित रूप से दें।

Interested land lords may submit their proposals giving complete details of the premises and available facilities to the Regional Office, ESIC, Namkum, Ranchi-834010 in a sealed envelop by 29.06.2016, 2:00 P.M. Rent of the premises may be mentioned as "rent per Sq. ft." or lump sum.

विस्तृत जानकारी हेतु हमारी वेबसाइट www.esicjharkhand.org एवं www.esic.nic.in देखें।

For detail information please visit to our website www.esicjharkhand.org and www.esic.nic.in

ह./Sd.

क्षेत्रीय निदेशक / Regional Director

12x11CM

**उप निदेशक कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, सरायकेला-खरसावाँ,
हेतु भवन में अपेक्षित सुविधाएँ**

मुहर बन्द निविदा कर्मचारी राज्य बीमा निगम के क्षेत्रीय कार्यालय (पंचदीप भवन), एसिक कम्प्लेक्स, नामकुम, राँची-834010 में रखे गए बन्द बक्से में डाला जा सकता है।

नियम एवं शर्तें :-

1. भवन निचले अथवा प्रथम तल्ले पर होनी चाहिए।
2. भवन सुगम्य होनी चाहिए। साथ ही पर्याप्त पड़ाव स्थल भी होनी चाहिए।
3. यदि जरूरत पड़े तो भवन मालिक को थोड़ा सा परिवर्तन की स्वीकृति देनी होगी।
4. भवन के लिए पर्याप्त क्षमता (5KVA) के साथ अलग से बिजली की मीटर होना चाहिए एवं Input Power हेतु अलग से MCB युक्त Electric distribution panel की व्यवस्था होनी चाहिए। यदि अलग से बिजली की मीटर नहीं है तो सबमीटर होनी चाहिए तथा भवन में वाईरिंग (wiring) होनी चाहिए।
5. 24 घंटे पानी की सुविधा होनी चाहिए।
6. भवन में निम्न पाया मीटर के साथ अर्थिंग की व्यवस्था होनी चाहिए।
 - (i) Phase to Neutral-220-240V
 - (ii) Phase to Earth-220-240V
 - (iii) Neutral to Earth- Below 3V
7. भवन में कर्मचारियों (staffs) एवं हितलाभार्थियों (beneficiaries) के लिए महिला / पुरुष प्रसाधन अलग अलग होनी चाहिए।
8. निविदा में भवन का नक्शा, दाखिल खारिज प्रमाण पत्र, भवन का क्षेत्रफल तथा भवन का पूर्ण पता एवं दूरभाष संख्या देना अनिवार्य है।
9. भवन में किसी प्रकार का विवाद नहीं होनी चाहिए तथा भवन से सम्बन्धित किसी प्रकार का सरकारी बकाया का टैक्स मकान मालिक के द्वारा देय होगा।
10. UPS, Battery एवं Inverter के लिए जगह उपलब्ध होना चाहिए।
11. भवन का किराया निविदा प्रस्ताव में स्पष्ट रूप से अंकित होनी चाहिए।
12. जरूरत पड़ने पर मकान पर Computer के लिए सर्वर हेतु एंटीना लगाने एवं Generator Set लगाने की अनुमति एवं उपयुक्त स्थान भवन मालिक को आवश्यक रूप से देनी होगी।
13. मुहर बन्द निविदा जमा करने की अंतिम तिथि **29.06.2016, 2.00 P.M.** तक है।
14. मुहर बन्द निविदा खोलने की तिथि **29.06.2016, 4.00 P.M.** है। मुहर बन्द निविदा क्षेत्रीय कार्यालय, क0रा0बी0 निगम, पंचदीप भवन, नामकुम, राँची में खोली जायेगी।
15. किराये पर भवन लेने के संबंध में न्यूनतम दर को स्वीकार करने हेतु यह कार्यालय बाध्य नहीं होगा तथा इस संबंध में क्षेत्रीय निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, राँची का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।
16. उपरोक्त निविदा को किसी भी स्तर पर बिना कोई कारण बताए क्षेत्रीय निदेशक द्वारा रद्द किया जा सकता है।

क्षेत्रीय निदेशक